न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या -2,गाजियाबाद।

सत्र परीक्षण वाद संख्याः 313/ 2021

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं० 1769/ 2021

सरकार बनाम सोनू

<u>30-11-2023</u>

1- सुना गया।

2- अभियुक्त सोनू द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 313/ 2021 सरकार बनाम सोनू अन्तर्गत धारा 272 भा० दं० सं० व 60 आवकारी अधिनियम थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद में गैर जमानतीय वारण्ट निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि पत्रावली न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या -18, गाजियाबाद से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में आयी थी। दिनांक 07-11-2023 को अभियुक्त के अनुपस्थित रहने के कारण उसके गैर जमानतीय वारण्ट जारी किये गये। अभियुक्त पूर्व में नियत तिथियों पर उपस्थित होता रहा है। अभियुक्त ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। अभियुक्त न्यायालय हाजिर आता रहेगा। अतः अभियुक्त के विरूद्ध जारी गैर जमानतीय वारण्ट निरस्त किया जाये।

4- विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

5- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त दिनांक 07-11-2023 को अनुपस्थित था, जिस कारण अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया गया। अभियुक्त पूर्व में नियत तिथियों पर उपस्थित होता रहा है। अतः मामलें के तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्त का गैर जमानतीय वारण्ट निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त सोनू की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकारक किया जाता है। अभियुक्त के विरूद्ध जारी गैर जमानतीय वारण्ट अभियुक्त द्वारा 50,000/-रूपये का स्वबंधपत्र दाखिल करने पर निरस्त किया जाता है।

(निर्मल चन्द्र सेमवाल)

दिनांकः 30-11-2023

प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट संख्या -2,गाजियाबाद।